इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 503] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 17, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. 31484-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 27 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 8 दिसम्बर 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१६.

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा ३३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) की धारा ३३ में, उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कालन स्थापित किया जाए और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति में स्नातक उपाधि रखता हो तथा बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो तथा जिसने सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा शासकीय क्षेत्र में पदस्थ हो, प्रशिक्षण की सीमा तक, आधुनिक वैज्ञानिक औषध, जो कि "एलोपैथी" के नाम से भी जानी जाती है तथा ऐसी अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएं करने का भी पात्र होगा तथा चिकित्सा की एलोपैथी पद्धति की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं अथवा केन्द्रों में पदस्थ किए जाने का भी पात्र होगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं और केन्द्रों में एमबीबीएस उपाधि रखने वाले चिकित्सा व्यवसाइयों की कमी को दृष्टि में रखते हुए, यह विनिश्चित किया गया है कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा व्यवसाइयों को, आधुनिक वैज्ञानिक औषध अर्थात् एलोपेथी में प्रशिक्षण देने के पश्चात् ऐसी स्वास्थ्य संस्थाओं और केन्द्रों में पदस्थ किया जाए और उनके द्वारा लिए गए प्रशिक्षण की सीमा तक आधुनिक वैज्ञानिक औषध में व्यवसाय करने के लिए उन्हें अनुज्ञात किया जाए. अतएव, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१), की धारा ३३ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : ५ दिसम्बर, २०१६

रुस्तम सिंह
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.